<u>प्रकरण कमांक 176/19</u>
<u>राज्य विरूद्ध रघुनाथ निषाद</u>

witness no. .....04.....for .....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken the.....17-12-2019.....day of .....Witness's apparent age ..... 30 वर्ष

States on affirmation .....शपथपूर्वक..... My name..... **सारिका निषाद**

Wife/of ... **आदित्य निषाद** ..... occupation..... **गृहणी**

address – **अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव, छ.ग.।**

समय 03: 50

<u>टीपः– साक्षी सारिका निषाद अभियोजन साक्षी के रूप में उपस्थित है, साक्षी के द्वारा 161 द.प्र.सं. के पुलिस कथन में साक्षी का फोटो चस्पा नहीं है, न्यायालय उपस्थित आरोपी द्वारा साक्षी की पहचान यह बताकर की गयी कि वह मृतिका की बड़ी बहन है। बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ताा श्री धनंजय नाविक द्वारा साक्षी के परीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। अतः साक्षी का मुख्यपरीक्षण आरंभ किया गया।</u>

01– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती हूॅ, आरोपी मेरी छोटी बहन पुष्पा का पति है। आरोपी और पुष्पा का विवाह अप्रेल 2016 में हुआ था। मेरी बहन मुझे बताती थी कि आरोपी शराब पीकर आता है और लड़ाई–झगड़ा करता है, इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता।

02– मुझे फोन पर मेरे भाई तुकाराम के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि पुष्पा की तबियत खराब है तो हम लोग रायपुर स्थित डी.के.एस. अस्पताल आए, अस्पताल में देखे कि पुष्पा के शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे बोतल चढ़ा रहे थे, ज्यादा देखने

नहीं दिये, थोड़ी देर बाद पुष्पा की मृत्यु हो गयी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। साक्षी स्वतः कहती है कि मैं, साल में एक दो बार मायके जाती थी और मेरा ससुराल बहुत दूर है इसलिए मुझे कुछ नहीं मालूम।

03— पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी मैने, पुलिस को क्या बताया था, आज मुझे याद नहीं है।

टीपः— साक्षी का प्रतिपरीक्षण आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के अब तक उपस्थित नहीं होने के कारण चायकाल पश्चात् के लिए स्थगित किया गया।

04— यह कहना सहीं है कि पुष्पा का विवाह 16 अप्रेल 2015 को हुआ था। मुझे इस बात की जानकारी नही है विवाह के 6—7 माह बाद आरोपी मेरी बहन पुष्पा को प्रताड़ित करने लगा और मारपीट कर परेशान करने लगा। यह कहना गलत है कि मैं, तीजा में मायके आयी थी तो मुझे पुष्पा ने बताया था कि आरोपी मेरे साथ मारपीट करता है। साक्षी का स्वतः कथन है कि मैं, तीजा में आयी ही नहीं थी।

05— यह कहना गलत है कि मृतिका मुझे मोबाइल पर बातचीत के दौरान यह बताती थी कि आरोपी उसे शराब पीकर मारपीट करता है। साक्षी का स्वतः कथन है कि एक बाद जब गॉव में बैठक हुआ था तो मेरे भाई लोग मुझे बताये थे परन्तु मृतिका ने मुझे नहीं बताया था।

06— साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र0पी0—6 का अ से अ भाग —''मेरी बहन के साथ मारपीट की बात पर.....रघुनाथ निषाद के उपर कानूनी कार्यवाही जरूरी है, यही मैं

चाहती हूॅ'' पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उपरोक्त बातें पुलिस को बताये जाने से इन्कार किया। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उपरोक्त बातें मेरे पुलिस कथन में मेरे बताये अनुसार लेखबद्ध की है।

07– यह कहना गलत है कि मुझे घटना की जानकारी है। यह कहना गलत है कि मैं, आज आरोपी को बचाने के लिए सहीं बात नहीं बता रही हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री धनंजय नाविक वास्ते अभियुक्त।</u>

08– मैं अपना स्वयं का मोबाइल रखती हूॅ। यह कहना सहीं है कि पुष्पा भी स्वयं का मोबाइल रखती थी। यह कहना सहीं है कि मेरी और पुष्पा की बातचीत हुआ करती थी। मेरी और पुष्पा की बातचीत 15 दिन–01 माह में होती रहती थी। यह कहना सहीं है कि पुष्पा ने इस दौरान कभी नही बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। मेरी बातचीत मोबाइल फोन से आरोपी से भी हुआ करती थी। यह कहना सहीं है कि आरोपी भी मुझसे अच्छे से बात करता था।

09– आरोपी कहॉ काम करने जाता था मुझे यह नहीं पता परन्तु ऐसा बोलता था कि गार्ड का काम करने जा रहा है।

समय–04:18

साक्षी को पढ कर सुनाया, समझाया गया सहीं होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया

(अनिल कुमार पाण्डेय)
दशम अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

(अनिल कुमार पाण्डेय)
दशम अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग

साक्षी के हस्ताक्षर.....